युवा कार्य और खेल मंत्रालय

मांग संख्या 105

युवा कार्य और खेल मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

		बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		888.25	89.04	977.29	1307.75	114.23	1421.98	1457.50	109.55	1567.05
पूंजी		*1.75*	*132.77*	*134.52*	*3.25*	*167.77*	*171.02*	*32.50*	*164.45*	*196.95*
जोड़		**890.00**	**221.81**	**1111.81**	**1311.00**	**282.00**	**1593.00**	**1490.00**	**274.00**	**1764.00**
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	...	9.87	9.87	...	11.93	11.93	...	12.19	12.19
खेल और युवा सेवाएं										
युवा कल्याण योजनाएं										
2. नेहरू युवा केन्द्र संगठन	2204	68.00	22.00	90.00	50.68	38.00	88.68	68.00	32.00	100.00
3. राष्ट्रीय सेवा योजना	2204	9.00	3.99	12.99	7.31	4.82	12.13	9.00	4.69	13.69
	3601	76.88	2.60	79.48	46.98	2.60	49.58	76.88	2.31	79.19
	3602	0.12	0.01	0.13	0.22	0.01	0.23	0.12	...	0.12
	जोड़	*86.00*	*6.60*	*92.60*	*54.51*	*7.43*	*61.94*	*86.00*	*7.00*	*93.00*
4. राष्ट्रीय अनुशासन योजना	3601	...	3.67	3.67	...	3.67	3.67	...	3.67	3.67
5. राष्ट्रीय स्वंयसेवी योजना										
5.1 राष्ट्रीय सेवा स्वंयसेवी योजना	2204	14.00	...	14.00	9.38	...	9.38	14.00	...	14.00
5.2 राष्ट्रीय सद्भावना योजना	2204	8.50	...	8.50	5.70	...	5.70	8.50	...	8.50
	जोड़	*22.50*	*...*	*22.50*	*15.08*	*...*	*15.08*	*22.50*	*...*	*22.50*
6. राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास	2204	...	...	...	...	...	...	22.55	0.50	23.05
कार्यक्रम	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6.1 युवा कार्यकलाप और प्रशिक्षण	2204	1.30	...	1.30	1.30	...	1.30	...	...	...
संवर्धन	3601	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	...	...	...
6.2 राष्ट्रीय एकता का संवर्धन	2204	5.20	...	5.20	5.20	...	5.20	...	...	...
	3601	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	...	...	...
6.3 किशोर विकास और अधिकारिता										
हेतु सहायता	2204	11.40	...	11.40	11.40	...	11.40	...	...	...
6.4 साहासिक गतिविधियों को प्रोत्साहन	2204	4.15	0.50	4.65	4.15	0.50	4.65	...	...	...
	जोड़	*24.55*	*0.50*	*25.05*	*24.55*	*0.50*	*25.05*	*22.55*	*0.50*	*23.05*
7. युवा होस्टल	2204	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.75	...	0.75
	4202	1.00	...	1.00	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50
	जोड़	*1.25*	*...*	*1.25*	*2.75*	*...*	*2.75*	*3.25*	*...*	*3.25*
8. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	2204	9.00	0.65	9.65	8.00	1.00	9.00	9.00	1.00	10.00
9. स्काउट और गाईड	2204	3.00	...	3.00	1.73	...	1.73	3.00	...	3.00
10. अंतराष्ट्रीय सहयोग	2204	3.50	0.85	4.35	3.50	0.85	4.35	3.50	0.85	4.35
11. संयुक्त राष्ट्र के स्वंयसेवियों										
को अंशदान	2204	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10
12. राष्ट्रीय स्वस्थ्यता कोर	2204	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	...	...
जोड़-युवा कल्याण योजनाएं		*217.80*	*34.38*	*252.18*	*160.80*	*51.56*	*212.36*	*217.80*	*45.12*	*262.92*
क्रीड़ा और खेल-कूद										
13. भारतीय खेल प्राधिकरण	2204	148.00	33.00	181.00	133.00	38.00	171.00	138.00	38.00	176.00
14. लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान	2204	22.00	6.00	28.00	20.00	7.00	27.00	23.00	7.00	30.00
15. खिलाडियों को प्रोत्साहन										
15.1 छात्रवृत्ति	2204	6.00	...	6.00	5.00	...	5.00	...	...	...
15.2 पुरस्कार	2204	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	4.00	...	4.00
15.3 सराहनीय कार्य हेतु पेंशन (नया)	2204	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	4.50	...	4.50
15.4 ग्रामीण खेलकूद कार्यक्रम	2204	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*11.50*	*...*	*11.50*	*10.50*	*...*	*10.50*	*8.50*	*...*	*8.50*
16. खेलों में उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन सहायता										
16.1 राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता	2204	51.00	3.00	54.00	38.50	3.00	41.50	41.00	3.00	44.00
16.2 प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण	2204	5.00	...	5.00	1.50	...	1.50	3.00	...	3.00
संबंधी योजना	*जोड़*	*56.00*	*3.00*	*59.00*	*40.00*	*3.00*	*43.00*	*44.00*	*3.00*	*47.00*
17. विद्यालयों/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों										
में क्रिड़ाओं और खेलों का संवर्धन	2204	8.00	...	8.00	...	...	...	4.00	...	4.00
18. राष्ट्रमंडल खेल 2010										
18.1 भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई)	2204	172.00	...	172.00	487.00	...	487.00	600.00	...	600.00
स्टेडियमों का नवीकरण	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18.2 अखिल भारतीय टेनिस संघ	2204	7.00	...	7.00	20.00	...	20.00	10.00	...	10.00
18.3 टीमें तैयार करना	2204	30.00	...	30.00	75.00	...	75.00	100.00	...	100.00

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2008-2009 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
18.4 स्थल का उन्नयन/सृजन	2204	15.00	...	15.00	218.00	...	218.00	60.00	...	60.00
18.5 अतिरिक्त भार (एसएआई, एआईटीए और भारतीय ओलंपिक संघ)	6202	...	132.74	132.74	...	167.74	167.74	30.00	164.42	194.42
(आयोजन समिति)	*जोड़*	*224.00*	*132.74*	*356.74*	*800.00*	*167.74*	*967.74*	*800.00*	*164.42*	*964.42*
19. राष्ट्रीय खेल विकास निधि (प्रोत्साहनों की योजना का पूर्ववर्ती भाग)	2204	4.25	...	4.25	4.25	...	4.25	14.25	...	14.25
20. डोपिंग रोधी गतिविधियां										
20.1 राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला	2204	4.00	...	4.00	3.00	...	3.00	14.00	...	14.00
20.2 राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी	2204	2.25	...	2.25	2.25	...	2.25	2.25	...	2.25
20.3 विश्व डोप रोधी एजेंसी	2204	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
	जोड़	*6.75*	*...*	*6.75*	*5.75*	*...*	*5.75*	*16.75*	*...*	*16.75*
21. पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान	2204	60.00	...	60.00	57.50	...	57.50	95.00	...	95.00
	3601	50.50	...	50.50	24.50	...	24.50	50.50	...	50.50
	जोड़	*110.50*	*...*	*110.50*	*82.00*	*...*	*82.00*	*145.50*	*...*	*145.50*
22. नगर पालिका युवा क्रीड़ा और खेल अभियान	2204	9.00	...	9.00	...	...	...	4.00	...	4.00
23. राज्य खेल अकादमी	4202	...	...	...	...	...	...	...	...	...
24. विकलांगों में खेल संवर्धन	2204	5.00	...	5.00	...	...	...	5.00	...	5.00
25. खिलाड़ियों हेतु राष्ट्रीय कल्याण निधि	2204	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	1.00	1.00
26. अर्जुन पुरस्कार	2204	...	0.55	0.55	...	0.55	0.55	...	1.10	1.10
27. ध्यानचंद पुरस्कार	2204	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.20	0.20
28. द्रोणाचार्य पुरस्कार	2204	...	0.16	0.16	...	0.16	0.16	...	0.32	0.32
29. एनसीसी/सरकारी रिहायशी विद्यालयों को शारीरिक शिक्षा अनुदान	2204	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10
30. राष्ट्रीय महिला खेल प्रतियोगिता	2204	...	1.10	1.10	...	1.10	1.10	...	1.10	1.10
31. अन्य पूंजी व्यय	4202	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03
जोड़-क्रीड़ा एवं खेलकूद		*605.00*	*176.83*	*781.83*	*1095.50*	*217.83*	*1313.33*	*1203.00*	*216.27*	*1419.27*
32. अन्य कार्यक्रम	2204	...	0.73	0.73	...	0.68	0.68	...	0.42	0.42
33. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों हेतु प्रावधान										
युवा कल्याण योजनाएं (पूर्वोत्तर)										
33.01 नेहरू युवा केंद्र संगठन	2552	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
33.02 राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम										
33.02.01 युवा गतिविधियां तथा प्रशिक्षण को प्रोत्सहान	2552	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	1.95	...	1.95
33.02.02 राष्ट्रीय एकता का संवर्धन	2552	0.80	...	0.80	0.80	...	0.80	...	...	...
33.02.03 किशोरों के विकास और अधिकारिता हेतु सहायता	2552	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60	...	...	...
33.02.04 साहसिक गतिविधियों को प्रोत्साहन	2552	0.35	...	0.35	0.35	...	0.35	...	...	...
	जोड़	*1.95*	*...*	*1.95*	*1.95*	*...*	*1.95*	*1.95*	*...*	*1.95*
33.03 स्काउट और गाईड	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...
33.04 राष्ट्रीय स्वयंसेवी योजना										
33.04.01 राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवी योजना	2552	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50
33.04.02 राष्ट्रीय सद्भावना योजना	2552	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	जोड़	*2.50*	*...*	*2.50*	*2.50*	*...*	*2.50*	*2.50*	*...*	*2.50*
33.05 युवा छात्रावास	4552	0.75	...	0.75	0.75	...	0.75	...	...	...
33.06 राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	2552	...	...	...	...	...	...	0.75	...	0.75
33.07 राष्ट्रीय सेवा योजना	2552	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00
जोड़-युवा कल्याण योजनाएं (पूर्वोत्तर)		***24.20***	***...***	***24.20***	***24.20***	***...***	***24.20***	***24.20***	***...***	***24.20***
खेल और शारीरिक शिक्षा (पूवोत्तर)										
33.08 भारतीय खेल प्राधिकरण	2552	17.00	...	17.00	17.00	...	17.00	26.00	...	26.00
33.09 खिलाडियों को प्रोत्साहन										
33.09.01 छात्रवृत्ति	2552	1.00	...	1.00	...	...	...	...	...	...
33.09.02 पुरस्कार	2552	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
33.09.03 सराहनीय कार्य हेतु पेंशन (नया)	2552	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
33.09.04 ग्रामीण खेल कार्यक्रम	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*2.50*	*...*	*2.50*	*1.50*	*...*	*1.50*	*1.50*	*...*	*1.50*
33.10 खेल में उत्कृष्टता को प्रोत्साहन के लिए सहायता										
33.10.01 राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता	2552	3.00	...	3.00	1.00	...	1.00	...	...	...

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2008-2009 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
33.10.02 प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...
योजना	*जोड़*	*3.00*	*...*	*3.00*	*1.00*	*...*	*1.00*	*...*	*...*	*...*
33.11 विद्यालयों/महाविद्यालयों और विश्व-विद्यालयों में खेलों के प्रोत्साहन हेतु अनुदान	2552	1.00	...	1.00	...	...	...	1.00	...	1.00
33.12 विकलागों में खेलों को प्रोत्साहन	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...
33.13 लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान	2552	3.00	...	3.00	...	...	...	...	...	...
33.14 राष्ट्रीय खेल विकास निधि	2552	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
33.15 पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान	2552	14.50	...	14.50	10.00	...	10.00	14.50	...	14.50
33.16 नगर पालिका युवा क्रीड़ा और खेल अभियान	2552	1.00	...	1.00	...	...	...	1.00	...	1.00
जोड़-खेल और शारीरिक शिक्षा (पूर्वोत्तर)		***43.00***	***...***	***43.00***	***30.50***	***...***	***30.50***	***45.00***	***...***	***45.00***
जोड़-पूर्वोत्तर क्षेत्र		*67.20*	*...*	*67.20*	*54.70*	*...*	*54.70*	*69.20*	*...*	*69.20*
कुल जोड़		***890.00***	***221.81***	***1111.81***	***1311.00***	***282.00***	***1593.00***	***1490.00***	***274.00***	***1764.00***

* *वर्ष 2009-10 से इन घटकों को एक शीर्षक अर्थात राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विलय कर दिया गया है।*

ग. **आयोजना परिव्यय**	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. खेल और युवा कार्य	22204	822.80	...	822.80	1256.30	...	1256.30	1420.80	...	1420.80
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	22251	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	67.20	...	67.20	54.70	...	54.70	69.20	...	69.20
जोड़		**890.00**	**...**	**890.00**	**1311.00**	**...**	**1311.00**	**1490.00**	**...**	**1490.00**

1. **सचिवालय समाज सेवा:** सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है ।

2. **नेहरु युवा केन्द्र संगठन (एन वाई के एस):** मंत्रालय के अधीन नेहरु युवा केन्द्र संगठन जमीनी वास्तविकता से जुड़ा हुआ विशालतम गैर-राजनीतिक संगठन है जो 2.58 मिलियन समुदाय आधारित युवा क्लबों के माध्यम से नामित किए गए 13-35 आयु समूह के 8 मिलियन से अधिक गैर-विद्यार्थी ग्रामीण युवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है । यह गैर- विद्यार्थी ग्रामीण युवाओं के क्षेत्र में प्रमुख प्रेरणादायक व विकास गतिविधियों के लिए सरकारी कार्यान्वयन निकाय के रुप में कार्य करता है ।

नेहरु युवा केन्द्र संगठन के अब 46 क्षेत्रीय कार्यालय व 18 मंडल कार्यालय हैं जो देश के 500 जिलों में कार्य कर रहे हैं । इसकी गतिविधियों का शेष 123 जिलों में विस्तार किया जा रहा है।

3. **राष्ट्रीय सेवा योजना (एन0एस0एस0):** राष्ट्रीय सेवा योजना (एन0एस0एस0) एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिसका लक्ष्य स्कूलों व कॉलेजों में विद्यार्थी युवाओं के चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करना है । योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों के माध्यम से तथा एन0एस0एस0 का संचालन विश्वविद्यालय/कॉलेज तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूल स्तर पर किया जाता है। एन0एस0एस0 का लक्ष्य विद्यार्थियों की सामाजिक चेतना को जगाना तथा उन्हें गांवों व मलिन बस्तियों के लोगों के साथ कार्य करने का अवसर उपलब्ध कराना है । योजना पर होने वाला व्यय जम्मू व कश्मीर सरकार तथा विधान मंडल रहित केन्द्र शासित प्रशासनों, जहां पूरे व्यय की पूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है, के मामले को छोड़कर, भारत सरकार और राज्य के मध्य बांट लिया जाता है । एन0एस0एस0 के दो प्रकार के कार्यक्रम हैं अर्थात इसके स्वयं-सेवकों द्वारा की जा रही ''नियमित गतिविधियां'' और ''विशेष शिविर कार्यक्रम'' ।

4. **राष्ट्रीय अनुशासन योजना (एनडीएस):** योजना के तहत पूर्ववर्ती राष्ट्रीय फिटनेस कॉर्प्स स्कीम के अंतर्गत एनडीएस अनुदेशकों के वेतन तथा भत्तों के व्यय और अन्य आकस्मिक व्यय की प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार करती है ।

5. **राष्ट्रीय स्वयंसेवक योजना:** योजना का लक्ष्य पूर्णकालिक आधार पर विशिष्ट अवधि के लिए राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में युवाओं को स्वैच्छिक आधार पर शामिल करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना है ।

6. **युवाओं और किशोरों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीवाइएडी):** यह छत्र योजना 10वीं योजनावधि के दौरान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की चार 100% केन्द्रीय क्षेत्र सहायता अनुदान प्राप्त योजनाओं नामतः युवा गतिविधियों का संवर्धन और प्रशिक्षण, राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन, साहस का संवर्धन तथा किशोरों का विकास और अधिकारिता को मिलाकर तैयार की गई थी । इसका उद्देश्य एक जैसे उद्देश्यों वाली योजनाओं की संख्या को कम करना, वित्त पोषण तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया में एकरुपता सुनिश्चित करना, फील्ड स्तर पर धन की उपलब्धता में विलम्ब को रोकना तथा परियोजना तैयार करने और इसके कार्यान्वयन में राज्य सरकार की संस्थागत सहभागिता को सुनिश्चित करना है । बेहतर और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तथा निधियों के इष्टतम उपयोग के लिए भी प्रत्येक घटक के लिए पृथक प्रावधान करने के बजाय 2009-10 से समेकित बजट प्रावधान करना प्रस्तावित है । इससे परिचालन प्रक्रिया तथा कार्यक्रम करने में सहक्रियाशीलता और समाभिरुपता होगी । इस योजना की भावना के अनुसार इस कार्यक्रम के लक्षित लाभार्थी युवा और किशोर हैं ।

7. **युवा छात्रावास:** युवा छात्रावास देश के युवाओं की यात्राओं को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं । युवा छात्रावासों के निर्माण की परिकल्पना केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच संयुक्त उद्यम के रुप में की गई है । केन्द्र सरकार युवा छात्रावासों के निर्माण की लागत वहन करती है । निर्माणाधीन युवा छात्रावासों के व्यय को पूरा करने के लिए प्रावधान किया गया है ।

8. **राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआइवाइडी):** इसकी स्थापना 1983 में श्रीपेरम्बुदूर (तमिलनाडु) में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत स्वायत्तशासी निकाय के रुप में की गई थी जो पूर्णतया भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है। यह देश में युवाओं से संबंधित प्रशिक्षण, प्रलेखन, अनुसंधान तथा मूल्यांकन और सभी गतिविधियों के विस्तार के लिए जिम्मेदार है । वर्ष 2008 में इसे उन्नत कर समकक्ष विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है ।

9. **स्काउटिंग और गाइडिंग:** यह प्रावधान भारत स्काउट्स और गाइड्स की विभिन्न गतिविधियों जैसे प्रशिक्षण शिविरों, कौशल विकास कार्यक्रमों आदि के लिए वित्तीय सहायता हेतु है ।

10. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आई सी):** यह प्रावधान युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के लिए है ।

11. **संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवकों के लिए अंशदान:** यह प्रावधान संयुक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवकों के लिए अंशदान करने के लिए है ।

13. **भारतीय खेल प्राधिकरण (भा.खे.प्रा.):** भारत सरकार ने 1984 में भा.खे.प्रा. की स्थापना की थी जिसके दो लक्ष्य विभिन्न आयु-समूहों के बच्चों में से प्रतिभाशाली

बच्चों का पता लगाने और उन्हें उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु अपेक्षित अवसंरचना तथा सहायक उपकरण, कोचिंग तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। भा.खे.प्रा. दिल्ली में 9वें एशियाई खेलों के दौरान निर्मित/नवीनीकृत किए गए स्टेडियमों के रखरखाव और उपयोग के लिए भी जिम्मेदार है।

राष्ट्रमंडल खेल, 2010, दिल्ली के संदर्भ में स्टेडियमों के उन्नयन/नवीकरण के अतिरिक्त अवसंरचना सहायता प्रदान करने तथा एथलीटों को तैयार करने में भा.खे.प्रा. की महत्वपूर्ण भूमिका है।

14. **लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान :** लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान 1957 में ग्वालियर में स्थापित किया गया था और इसे 1995 में ''समकक्ष विश्वविद्यालय'' का दर्जा दिया गया था। अब लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। संस्थान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्तशासी संगठन है जो कि पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

15. **खिलाड़ियों को प्रोत्साहनः** स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और विश्वविद्यालय/कालेज स्तर के खिलाड़ियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उच्च उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार दिए जाते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के खिलाड़ियों और उनके कोचों को विशेष पुरस्कार दिए जाते हैं। ओलंपिक, विश्व कप और विश्व चैम्पियनशिपों के पदक विजेताओं तथा एशियाई, राष्ट्रमंडल और पैरा-ओलंपिक खेलों के पदक विजेताओं को उत्कृष्टता पेंशन दी जाती है। एथलीट के सक्रिय खेलों से संन्यास के बाद 30 वर्ष की आयु से जीवनपर्यंत के लिए पेंशन दी जाती है। ग्रामीण खेल कार्यक्रम को नए आरंभ किए गए पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान में मिला दिया गया है।

16. **खेल उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए सहायताः** मंत्रालय मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों को विदेश में प्रशिक्षण तथा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने, भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करने, राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजित करने और खेल उपस्करों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कोचिंग शिविर आयोजित करने, राष्ट्रीय टीम की तैयारी और विदेशी कोचों की सेवाएं लेने के लिए भा.खे.प्रा. के माध्यम से भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

17. **स्कूलों/कालेजों/विश्वविद्यालयों में खेलकूद का संवर्धनः** योजना के अंतर्गत खेलों के संवर्धन हेतु स्कूलों/कालेजों/विश्वविद्यालयों को अनुदान दिया जाता है।

18. **राष्ट्रमंडल खेलः** राष्ट्रमंडल खेल, 2010, 3 से 14 अक्तूबर, 2010 तक दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। प्रावधान भाखेप्रा के स्टेडियमों, टेनिस स्टेडियम के उन्नयन/नवीकरण, प्रशिक्षण स्थलों के उन्नयन/सृजन तथा खेलों के लिए टीमों की तैयारी हेतु है। खेलों के आयोजन हेतु आयोजन समिति को ऋण देने के लिए भी प्रावधान किया गया है।

19. **राष्ट्रीय खेल विकास निधिः** सामान्य रुप से खेलों के संवर्धन तथा विशेष रुप से खेलों में उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए यह एक स्थायी निधि है। यह स्कीम सार्वजनिक- निजी सहभागिता पर आधारित है तथा भारत सरकार अन्य स्रोतों से प्राप्त योगदान की तुलना में समतुल्य योगदान देती है।

20. **डोप विरोधी गतिविधियांः** यह प्रावधान, राष्ट्रीय डोप-परीक्षण प्रयोगशाला तथा राष्ट्रीय डोप-विरोधी एजेंसी की स्थापना पर हुए व्यय तथा अंतर्राष्ट्रीय निकाय जैसे विश्व डोप विरोधी एजेंसी में योगदान देने हेतु व्यय को वहन करने के लिए है।

21. **पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए) :** यह योजना ग्राम तथा ब्लाक पंचायत स्तर पर मूलभूत खेल सुविधाएं सृजित करने के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। इसके अलावा, यह योजना जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं के आयोजन तथा खेल उपस्करों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराती है। इसमें पुरस्कार राशि प्रदान करने तथा खेल स्वयंसेवकों (क्रीड़ाश्री) को छात्रवृत्ति देने का भी अल्प प्रावधान है।

22. **नगर पालिका युवा क्रीडा और खेल अभियान (एनवाईकेकेए):**इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों विशेषकर छोटे कस्बों और उनमें भी गरीब क्षेत्रों में मूलभूत खेल अवसंरचना प्रदान करना है।

23. **राज्य खेल अकादमीः** यह योजना राष्ट्रीय खेल निधि में मिला दी गई है।

24. **अक्षम व्यक्तियों में खेलों का संवर्धनः** अक्षम व्यक्तियों में खेलों के संवर्धन का प्रावधान है।

25. **खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधिः** खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि प्रदान करने का प्रावधान है।

26. **अर्जुन पुरस्कारः** विभिन्न खेल विधाओं में उत्कृष्टता के लिए खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान करने का प्रावधान है।

27. **ध्यानचंद पुरस्कारः** जीवनपर्यंत उपलब्धि के लिए खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान करने का प्रावधान है।

28. **द्रोणाचार्य पुरस्कारः** यह पुरस्कार उत्कृष्ट कोच को दिया जाता है।

29. **एनसीसी/पब्लिक रेजिडेंशियल स्कूलों को शारीरिक शिक्षा संबंधी अनुदानः** एनसीसी कैम्पों के आयोजन हेतु अनुदान का प्रावधान है।

30. **महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल चैम्पियनशिपः** महिलाओं के लिए राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजित करने के लिए प्रावधान है।

31. **अन्य पूंजीगत व्ययः** पंचाट पुरस्कार, यदि कोई है, पर व्यय को वहन करने के लिए प्रावधान है।

32. **अन्य कार्यक्रमः**मंत्रालय के सेमिनार, बैठकों आदि के प्रबंध के लिए इस शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान है।

33. **सिक्किम में उत्तर-पूर्व की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधानः** युवा कल्याण योजना तथा खेलकूद के लिए सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों की विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं के लिए 69.20 करोड़ रु0 की धनराशि चिह्नित की गई है।